पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

[यह प्रतिवेदन १८ जनवरी, १९७२ को विधान सभा में प्रस्तुत किया गया]

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
19-1-72

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

आश्वासन समिति

का

३६वां प्रतिवेदन

(सन् १९६३ से १९६९ की अवधि में विधान सभा में दिये गये

आश्वासनों से सम्बन्धित, जो समिति के ३२ तथा ३५वें प्रतिवेदनों में अपूर्ण दिखलाये गये थे)

3.P
28.30615443
ul-8A
36th Rep 1971-72
Cop1

—:(०):—

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही विभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत।

१९७२

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
(1) आश्वासन समिति के सदस्यों की सूची	..	१
(2) प्रतिवेदन	..	३–५
(3) सूची "क"––पूर्ण आश्वासनों की सूची	..	६–१०
(4) सूची "ख"––अपूर्ण आश्वासनों की सूची	..	१३–१६

बिश्वास (1)

36, 37, 38

39, 40

कुल - 5 पृष्ठ

प्रति 1, 2

आश्वासन समिति (१९७१-७२) सदस्यों की सूची

1—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी	.. .. ..	सभापति
2—श्री धर्म सिंह ..	.. .. ..	सदस्य
3—श्री विक्रम सिंह ..	.. .. ..	,,
4—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)	.. .. ..	,,
5—श्री उमा शंकर (वाराणसी)	.. .. ..	,,
6—श्री हुकुम सिंह परिहार	.. .. ..	,,
7—श्री शिव शंकर सिंह	.. .. ..	,,
8—श्री शिव लाल बाल्मीकि	.. .. ..	,,
9—श्री हरी सिंह विष्ट	.. .. ..	,,
10—श्री कृष्ण दत्त उर्फ बलराज	.. .. ..	,,
11—श्री महाबीर सिंह चौहान	.. .. ..	,,
12—श्री बंश गोपाल शुक्ल	.. .. ..	,,
13—श्री राम पाल सिंह (कानपुर) ..	.. ..	,,
14—श्री सुखपाल पांडेय	.. .. ..	,,
15—श्री अवधेश प्रताप मल्ल (राजा) ..	.. ..	,,

विधान सभा सचिवालय

1—श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, सचिव, विधान मण्डल।

2—श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

3—श्री श्रीपति सहाय, सहायक सचिव, (प्र०)।

प्रतिवेदन

मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का 36 वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

समिति का यह प्रतिवेदन उन आश्वासनों के संबंध में है जो वर्ष 1963 से 1969 की अवधि में शासन द्वारा विभिन्न अवसरों पर सदन में दिये गये थे । ऐसे आश्वासनों की संख्या 108 है, जिनका वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है—

1—(1) वर्ष 1963 का 1 आश्वासन,

(2) वर्ष 1964 का 1 आश्वासन, तथा

(3) वर्ष 1965 के 2 आश्वासन,

अर्थात् 4 आश्वासन जो समिति के 32 वें प्रतिवेदन में अपूर्ण माने गये थे ।

2—(1) वर्ष 1966 के 35 आश्वासन,

(2) वर्ष 1967 के 22 आश्वासन,

(3) वर्ष 1969 के 47 आश्वासन,

अर्थात् 104 आश्वासन, जो समिति के 35वें प्रतिवेदन में अपूर्ण दिखलाये गये थे ।

उपरोक्त अवधि के आश्वासनों के संबंध में आश्वासन समिति ने अपनी दिनांक 14 अक्तूबर, 1971 की बैठक में सभापति, आश्वासन समिति को अधिकृत किया कि वह इनकी पूर्ति के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण कर लें । समिति ने सभापति को यह भी अधिकार दिया कि उनके विचार में जिन आश्वासनों की पूर्ति हो गई है, उनको पूर्ण मान लेने तथा अपूर्ण आश्वासनों के संबंध में उचित आदेश दे दें । तदनुसार 27 आश्वासनों को पूर्ण माना गया । इन्हें प्रतिवेदन के पृष्ठ ९ से १० पर सूचीबद्ध किया गया है । अवशिष्ट 18 आश्वासन अपूर्ण माने गये, जिनकी वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है—

वर्ष 1964 का 1 आश्वासन,

वर्ष 1966 के 31 आश्वासन,

वर्ष 1967 के 17 आश्वासन,

वर्ष 1969 के 32 आश्वासन ।

इन आश्वासनों की सूची प्रतिवेदन के पृष्ठ 13 से 16 पर दी गई है । चूंकि इन आश्वासनों को सदन में दिये गये 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का समय व्यतीत हो गया है, और चूंकि सदन के माननीय सदस्य इन विषयों पर सदन में चर्चा किये जाने के अपने अधिकार से वंचित हो चुके हैं, अतः समिति यह चाहती है कि इन आश्वासनों की पूर्ति अब यथासंभव शीघ्र हो ही जानी चाहिये । समिति मंत्रिमण्डल के सदस्यों से यह अपेक्षा करती है कि वह अपने अधीनस्थ विभागों से संबंधित अपूर्ण आश्वासनों की ओर व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर आवश्यक पग उठायेंगे ।

इन आश्वासनों का अवलोकन करते समय यह अनुभूति हुई कि सदन में आश्वासन कुछ दिया गया, उसकी पूर्ति के संबंध में संबंधित विभाग ने उत्तर कुछ और ही भेजा है जबकि वास्तविकता कुछ और ही है । यह स्थिति नीचे दिये गये कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है :—

आश्वासन सं० 41/63—19 फरवरी, 1963 को श्री राम सुन्दर पांडेय के तारांकित प्रश्न सं० 4—6 के एक अनुपूरक प्रश्नोत्तर में आजमगढ़ जिले के रसड़ा तथा बिल्थरा रोड के राजकीय बस स्टेशनों के नीचे धरातल पर निर्माण किये जाने की जांच का आश्वासन दिया गया था । आश्वासन में यह भी कहा गया था कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है यह जाना जायगा ।

आश्वासन की पूर्ति के संबंध में परिवहन (क) विभाग ने अपने 12 दिसम्बर, 1967 के पत्र द्वारा समिति को सूचना दी कि—

> "रसड़ा व बिल्वरा दोनों स्थानों पर जो बस स्टेशनों का निर्माण हुआ है वह जमीन के ऊंचे भाग पर किया गया है न कि निचले भाग पर। भवनों के निर्माण के पश्चात् भूमि का जो भाग नीचा था उसे भी ऊंचा कर दिया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।"

उपरोक्त सूचना जब समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गई, तो उस क्षेत्र के उत्तरदायी विधायकों ने इसे गलत बतलाया। समिति ने मौके पर देखा कि दोनों राजकीय बस स्टेशनों की इमारतें नीचे धरातल पर बनी हैं। इसकी पुष्टि उनके फर्श, दीवार तथा छत पर पड़ी दरारों से होती है। स्टेशन इंचार्ज, बिल्वरा रोड ने भी अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि रसड़ा में एक से लेकर दो बालिश्त तक पानी भर जाता है। जहां तक बिल्वरा रोड बस स्टेशन का प्रश्न है इसमें भी जहां तहां पानी भर जाता है। एक अन्य अधिकारी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि "कुछ गलती जरूर मालूम होती है, क्योंकि इतनी जल्दी लाइफ कम नहीं होनी चाहिये थी।"

आश्वासन सं० 240/64—ऋषिकेश–बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन विधान सभा में दिया गया था। आश्वासन की पूर्ति के संबंध में समिति को सर्वश्री पारस्परिक विरोधी सूचना प्रेषित की गई। तत्कालीन सचिव, परिवहन विभाग श्री दवे ने 26 अक्तूबर, 1966 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर बतलाया कि ऋषीकेश से जोशीमठ तक के मार्ग का नोटीफिकेशन, मई, 1966 में हो गया है तथा मार्ग के अगले हिस्से को डी० आई० आर० में लेने के लिये भारत सरकार ने मना किया है? 28 मई, 1970 की बैठक में तत्कालीन सचिव, परिवहन विभाग, श्री बसन्त सिंह तेठ ने समिति को अवगत किया कि इस मार्ग को नेशनलाइज करने का निश्चय कभी नहीं हुआ। भूतपूर्व सचिव, श्री दवे के कथन का आधार क्या है, इस पर प्रकाश डालने में उन्होंने असमर्थता प्रकट की। उन्होंने यह भी कहा कि इस मार्ग पर परमिट लेकर कुछ दिनों के लिये सरकारी बसें चलाई गई थीं। परिवहन (क) विभाग ने अपने पत्र, दिनांक 27 अप्रैल, 1970 में सूचित किया कि ऋषिकेश–बदरीनाथ तथा उस क्षेत्र के अन्य मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाने के लिये रोडवेज के ऋषिकेश क्षेत्र का निर्माण किया गया और इन मार्गों पर रोडवेज की बसें परमिट लेकर चलाई गई। विभिन्न श्रोतों से उपलब्ध उपरोक्त सूचनायें एक दूसरे के विरोधी हैं। वास्तविकता यह है कि मार्ग के केवल जोशीमठ से बद्रीनाथ के अंतिम भाग को ही नोटीफाई किया गया था, जो 188 मील लम्बे संपूर्ण मार्ग का 28 मील का अंतिम टुकड़ा है। इस मार्ग के इस भाग पर बस संचालन के लिये सप्लाई बेस (Supply Base) 160 मील नीचे ऋषिकेश में बनाया गया। समिति को परिवहन विभाग ने अपने उपरिलिखित 17 अप्रैल, 1970 के पत्र द्वारा यह भी बतलाया कि 12.7 लाख रुपये की आर्थिक हानि होने के कारण रीजन बन्द कर देना पड़ा तथा ऋषिकेश –बद्रीनाथ मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। इससे कुछ प्रश्न उठते हैं कि—

1—जब एक मार्ग विशेष के राष्ट्रीयकरण करने का आश्वासन दिया गया था तो उसे अन्य मार्गों से जोड़कर व्यापक क्यों बनाया गया।

2—जब जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ तक बसों का संचालन होता था, तो उसके लिये लगभग 160 मील नीचे ऋषिकेश को सप्लाई बेस (Supply Base) क्यों बनाया गया। (साधारण व्यक्ति भी आसानी से यही कहेगा कि ऐसा करने से प्रति किलोमीटर व्यय अधिक होगा।)

जहां तक घाटे का प्रश्न है समिति यह मानने को न तो तैयार ही है और न ही इससे संतुष्ट है। रोडवेज द्वारा स्थापित ऋषिकेश क्षेत्र के संबंधित वर्ष की आडिट रिपोर्ट तथा

बेलेंस शीट का अध्ययन करने के उपरान्त निसंकोच यह कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में घाटे का मुख्य कारण परिवहन विभाग की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार ही रहा है। यदि विभाग अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरुक होता, तो आर्थिक हानि कदापि न होती।

जैसा कि समिति अपने 32 वें प्रतिवेदन में कह चुकी है वह इस बारे में विवेचना समाप्त करके अपना विशेष प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेगी। बदली हुई परिस्थितियों में रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए अब यह और भी आवश्यक हो गया है।

इसी प्रकार से आश्वासन सं० 349/65 के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना पर कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन 8 अक्तूबर, 1965 को विधान सभा में दिया गया था। आश्वासन की पूर्ति के संबंध में सिंचाई विभाग ने 29 सितम्बर, 1968 के पत्र द्वारा सूचित किया कि सरयू नहर योजना शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। उस क्षेत्र के विधायक एवं समिति के सदस्य द्वारा इसका प्रतिवाद करने पर विभागीय सचिव को वस्तुस्थिति की जानकारी देने हेतु बुलाने का निश्चय किया गया। तदनुसार सचिव, सिंचाई विभाग ने 19 सितम्बर, 1970 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर बतलाया कि वह योजना जिसके संबंध में आश्वासन दिया गया था, समाप्त कर दी गई है और उसके स्थान पर एक अन्य योजना स्वीकार हुई है।

उपरोक्त दृष्टान्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि समिति को गलत सूचनायें तो भेजी ही गई हैं साथ में उसे पथ भ्रष्ट करने का भी प्रयास किया गया है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इस संबंध में समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 की ओर शासन के सभी विभागों का ध्यान आकृष्ट कर देना आवश्यक समझती है और इस समय उन्हें केवल चेतावनी ही देना चाहती है। यह भी स्पष्ट कर देना अभीष्ट है कि यदि भविष्य में समिति को इस प्रकार से गलत तथा भ्रमपूर्ण सूचनायें देकर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया तो समिति सदन से उपरोक्त नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने को कहने के लिये विवश होगी।

अन्त में मैं इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग तथा सहायता के लिये धन्यवाद देकर इस प्रतिवेदन को समाप्त करता हूं।

लखनऊ।
दिनांक, 10 जनवरी, 1972।

माधव प्रसाद त्रिपाठी,
सभापति,
आश्वासन समिति।

पूर्ण आश्वासनों की सूची

सूची "क"

(वर्ष 1963 से 1969 की अवधि के वह आश्वासन जो पूर्ण माने गये अथवा जिन पर समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती)

क्रम-संख्या	आश्वासन संख्या	विषय	संबंधित विभाग का नाम
1	2	3	4
		1963 से 1965	
1	41/63	रसड़ा तथा बिल्थरा बस स्टेशनों का नीची भूमि पर निर्माण ..	परिवहन (क)
2	23/65	गोरखपुर में बर्डघाट पुल टूटने की जांच	सार्वजनिक निर्माण (क)
3	349/65	सरयू नहर परियोजना पर कार्य	सिंचाई (ख)
		1966	
4	60/66	काशी विश्व विद्यालय के छात्र की मृत्यु	गोपन (क)
5	457/66	सरकारी कर्मचारी की पत्नी द्वारा बीमा संबंधी कार्य	चिकित्सा (क–1)
6	205/66	ब्लाक बड़हलगंज (गोरखपुर) में हेल्थ सेन्टर की स्थापना	चिकित्सा (ख)
7	85/66	बी॰ संग्रह केन्द्र अधिकारी का वेतन निर्धारण	पशुपालन (क)
		1967	
8	191/67	डफरिन अस्पताल (लखनऊ) में शय्याओं की वृद्धि तथा पेय जल की व्यवस्था ..	चिकित्सा (क–1)
9	204/67	झांसी मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों की शिक्षा	चिकित्सा (क–1)
10	17/67	दो नये ब्लड बैंकों की स्थापना	चिकित्सा (ख)
11	190/67	जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच	जन स्वास्थ्य

1	2	3	4
12	188/67	विकास खण्ड अमौली (फतेहपुर) में नलकूप का निर्माण ..	सिचाई (ग)
		1969	
13	3/69	वाराणसी में विषाक्त शराब पीने से हुई मृत्युओं की जांच ..	आबकारी
14	130/69	चूक सीमेन्ट फैक्टरी में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना ..	उद्योग (ख)
15	7/69	चौक, शहर लखनऊ में गायों को विष देकर मारने की जांच	पुलिस (ख–1)
16	55/69	तेमला करनपुर (बदायूं) में डाकुओं द्वारा मारे गये व्यक्ति को पुरस्कार ..	पुलिस (ख–1)
17	58/69	थाना, पिसावा तथा महोली के अमीनों के विरुद्ध गबन के आरोपों की शिकायत	पुलिस (ख–1)
18	123/69	ग्राम कसारा (सुलतानपुर) में हुई हत्या की जांच	पुलिस (ख–1)
19	55 (अ)/69	हेल्थ विभाग के फार्मासिस्टों को सेलेक्शन ग्रेड	चिकित्सा (ख)
20	121/69	पालिकाध्यक्ष मलाना के विरुद्ध रिश्वत लेने के आरोप	नगरपालिका (क)
21	122/69	उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारियों के लिये वेतन समिति की सिफारिश ..	नगरपालिका (क)
22	54/69	बेलदारी, लेन, लखनऊ से कोल डिपो हटाने की कार्यवाही	नगरपालिका (ख)
23	124/69	नगरपालिका बुलन्दशहर को दुकानों हेतु अनुदान	नगरपालिका (ख)
24	109/69	जिला परिषद् बाराबंकी के बारे में गलत सूचना देने की जांच	पंचायतीराज (1)
25	44/69	ओबरा बिजली घर, यूनिट नं0 2 के ट्रांसफार्मर की मरम्मत में व्यय ..	विद्युत् (क)
26	65/69	शिक्षा गोष्ठी की सिफारिशें	शिक्षा (ङ)
27	73/69	पूर्वी जमुना नहर का ताजेवाला हेडवर्क्स के निर्माण में प्रदेशीय सरकार का खर्चा	सिचाई (ख)

अपूर्ण आश्वासनों की सूची

सूची "ख"

अपूर्ण आश्वासनों की सूची

क्रम-संख्या	आश्वासन संख्या	विषय	संबंधित विभाग का नाम
1	2	3	4
		1964	
1	240/64	ऋषिकेश–बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का राष्ट्रीयकरण	परिवहन (क)
		1966	
2	423/66	बरेली इंडस्ट्रियल स्टेट हेतु अधिगृहित भूमि का मुआविजा	उद्योग (च)
3	65/66	थाना सदरपुर (सीतापुर) अन्तर्गत बरामद लाश की जांच	गृह (पुलिस–ख–1)
4	231/66	नगीना में होली पर साम्प्रदायिक दंगा	तदेव
5	383/(अ)/66	नंदा गोली काण्ड की जांच	गोपन (क)
6	393/66		
7	25/66	कोसी कलां (मथुरा) के महिला चिकित्सालय में शौचालय आदि की व्यवस्था ..	चिकित्सा (ख)
8	31/66	जिला आजमगढ़ को हेल्थ विजिटर को मेटरनिटी लीव का भुगतान	जन स्वास्थ्य
9	70/66	जिला चमोली के एपेडेमिक स्टाफ को बकाया भत्ते का भुगतान	तदेव
10	420/66	थाना बांसी (बस्ती) में रोकी गई जीप का दुरुपयोग	तदेव
11	240/66	शूकर क्षेत्र सोरों (एटा) के घाटों की मरम्मत	नगरपालिका (ख)
12	98/66	ब्लाक नौगढ़ (बस्ती) में अवैध वधशालायें	पंचायती राज (2)
13	68/66	यक्ष्मा के रोगियों की राजकीय यातायात के किराये में छूट	परिवहन (क)

1	2	3	4
14	307/66	परिवहन विभाग खलीलाबाद (बस्ती) में गबन	परिवहन (क)
15	442/66	तहसील हंडिया (इलाहाबाद) से बरामद धन की जांच	राजस्व (घ)
16	368/66	राजेन्द्रनगर, कालोनी लखनऊ के कतिपय क्वार्टरों के अलाटमेन्ट को रद्द करना ..	राज्य संपत्ति
17	180/66	ए० एस० टी० ओ० , आगरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच ..	वित्त (ए० एस० टी०)
18	233/66	बी० ए०, बी० टी०, शिक्षा के स्तर में गिरावट	शिक्षा (ग–2)
19	110/66	जिला परिषद, कानपुर में गबन	शिक्षा (घ)
20	112/6	नार्मल स्कूल छिबरामऊ, फर्रुखाबाद के अध्यापक को पूर्ण ग्रेड का न दिया जाना ..	शिक्षा (घ)
21	129/66	निदेशक कार्यालय में पेट्रोल की कमी की जांच	समाज कल्याण
22	202/66	गवर्नमेंट प्रेस कोआपरेटिव सोसाइटी, इलाहाबाद में गबन	सहकारिता (क)
23	344/66	बस्ती का तालाब हवाई अड्डे हेतु अध्याप्त भूमि का प्रतिकर ..	सामान्य प्रशासन
24	377/66	बी० डी० ओ० मिठौरा, फतेहपुर के विरुद्ध जांच	सामुदायिक विकास (ख)
25	454/66	संकिसा (फर्रुखाबाद) में जाली प्रमाण-पत्रों पर तकावी	
26	173/66	जिला उन्नाव में सड़क निर्माणार्थ ली गई भूमि का मुआविजा	सार्वजनिक निर्माण (क)
27	230/66	रेलवे रोड मैनपुरी पर नालियों का निर्माण	तदेव
28	178/66	पी० डब्ल्यू० डी० ओवरसियर, कन्नौज के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच ..	तदेव
29	44/66	सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती में तारकोल की चोरी	सार्वजनिक निर्माण (ग)
30	248/66	चिरई गांव तथा कटेहर ब्लाकों में नलकूप लगाने की प्रार्थना ..	सिंचाई (ग)
31	292/55	सिंचाई योजनान्तर्गत निर्माण-कार्य	सिंचाई (ग)
32	127/66	हरिजन एवं पिछड़ी जाति की छात्राओं के लिये छात्रावासों की व्यवस्था ..	हरिजन सहायक

1967

33	96/67	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 को लागू करना ..	कृषि (ख)
34	182/67	लखीमपुर जिले में बिरला फार्म पर लेवी न लगाने की जांच	खाद्य (क–1)
35	71/67	अस्पतालों के जनरल वार्डस से फीस हटाया जाना तथा प्राइवेट वार्डस की संख्या में वृद्धि	चिकित्सा (क–2)

36	19/67	नेशनल होम्योपैथिक कालेज का प्रान्तीयकरण		चिकित्सा (ग)
37	192/67	छटनी किये गये वेक्सीनेटरों की पुर्नानियुक्ति		जन स्वास्थ्य
38	206/67	परिवार नियोजन विभाग में सम्मिलित चेचक निरोधकों का पूर्व सेवा काल ..		तदेव
39	27/67	अध्यक्ष, जिला परिषद्, झांसी के विरुद्ध जांच		पंचायती राज (1)
40	218/67	विधायकों को रेल कूपन से दिल्ली यात्रा की सुविधायें देना		विधायिका
41	175/67	देवरिया जिला परिषद् की अध्यापिका का बकाया वेतन		शिक्षा (ग–2)
42	176/67	प्रसार अध्यापकों के संबंध में डा० रामदास कमेटी का प्रतिवेदन ..		शिक्षा (घ)
43	141/67	बोरिंग मेकेनिकों की ट्रेनिंग आरंभ करने का विचार		श्रम (ख)
44	217/67	आई० टी० आई०, बेहरादून के प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायतें		श्रम (ख)
45	44/67	अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित मामले ..		सचिवालय प्रशासन (ई–1)
46	220/67	देवरिया जिले में नेशनल हाई वे के निर्माण में हस्तगत भूमि का मुआविजा ..		सार्वजनिक निर्माण (ङ)
47	221/67	कुशीनगर–तालेमपुर (देवरिया) रोड में अधिग्रहण की गई भूमि का मुआविजा ..		सार्वजनिक निर्माण (ङ)
49	201/67	हरदोई तथा मेरठ जिले के कतिपय शहरों में टाउन एरिया बनाने का विचार ..		स्वायत्त शासन (इ)
49	6 67	हरिजन कल्याण विभाग में उप निदेशक तथा सहायक निदेशकों का स्थायीकरण ..		हरिजन सहायक

1969

50	45/69	प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया धन		आबकारी
51	129/69	आबकारी विभाग में इन्सपेक्टर के पदों पर विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति ..		आबकारी
52	94/89	उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर को दिये गये ऋण की वसूली ..		उद्योग (क)
53	20/89	चीनी मिलों पर बकाया टैक्स की वसूली		उद्योग (ग)
54	74/69	देवरिया जिले के कतिपय ब्लाकों के विकास हेतु योजना		कृषि (क)
55	86/69	थानाध्यक्ष कोखराज द्वारा श्रीनाथ पासी की कथित हत्या		गृह पुलिस (ख–1)
56	135/69	म्यू सांईड कालोनी–आईजेटनगर में विस्फोट		गृह पुलिस (ख–1)
57	150/69	जिला चिकित्सालय, हरदोई के डाक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत ..		चिकित्सा (क–2)
58	81/69	अविवाहित व्यक्तियों की नसबन्दी		जन स्वास्थ्य
59	104/69	बरेली नगर पालिका में भ्रष्टाचार		नगरपालिका (क)

1	2	3	4
60	87/69	जिलाधीश बरेली द्वारा ड्राइवर की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार	नियुक्ति (क)
61	11/69	जिला बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच ..	पंचायती राज (1)
62	71/69	क्षेत्रीय निधि बढ़ाने का विचार	पंचायती राज (2)
63	16/69	रोडवेज डिपो बलिया में यात्रियों के लिये शेड	परिवहन (क)
64	106/69	ग्राम सभा खपलिया (बांदा) में भूमिहीनों को भूमि	राजस्व (क)
65	25/69	हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट बोर्ड का विकेन्द्रीकरण	शिक्षा (क)
66	152/69	सुभाष इन्टर कालेज भटनी (देवरिया) के छात्रों की मांगें ..	शिक्षा (क)
67	156/69	जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी मुजफ्फरनगर के विरुद्ध गबन की जांच	शिक्षा (क)
68	14/69	उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना	शिक्षा (ग–1)
69	28/69	प्राथमिक विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि ..	शिक्षा (ग–2)
70	58/69	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की बी0टी0सी0 इकाइयों से संबद्ध शिक्षकों की पुर्नः नियुक्ति	शिक्षा (घ)
71	66/69	झांसी में ए0 डी0 ओ0 (डब्ल्यू0) को नोटिस की अवधि का वेतन न मिलना ..	समाज कल्याण
72	24/69	सोंक्षक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गबन	सहकारिता (क)
73	136/69	लाज स्केल सोसाइटी बिठौरा के अध्यक्ष तथा सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायत ..	सहकारिता (क)
74	38/69	बी0 डी0 ओ0 डेरापुर (कानपुर) के विरुद्ध कार्यवाही	सामुदायिक विकास (क)
75	103/69	एम0 आर0 पी0 योजनान्तर्गत गोंडा में ली गई भूमि का मुआवजा ..	सार्वजनिक निर्माण (ङ)
76	139/69	ग्राम कोहानी कलां में नलकूप का निर्माण	सिंचाई (क)
77	9/69	बेगुल रिजर्वायर (नैनीताल) के सिंगहिया स्केप का स्थान परिवर्तन ..	सिंचाई (ख)
78	43/69	गोंडा जिलान्तर्गत कतिपय ग्रामों की सिंचाई योजना	सिंचाई (ख)
79	3/69	लखनऊ नगर महापालिका को जलकल की क्षमता बढ़ाने हेतु धन देने का विचार ..	स्वायत्त शासन (ख)
80	132/69	तुरहा जाति को बैकवर्ड जाति मानने का विचार	हरिजन सहायक
81	155/69	सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल, मुरादाबाद के विरुद्ध गबन का आरोप ..	हरिजन सहायक

4.1. 130734
328.30615443
U.P.BH
36th Rep 1971-72
Conf. I.

ने० सी० २५६ एल० ए०—१६७२—१,०००।